

नेशनल ई-वधिन एप्लीकेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य वधिनसभा में केंद्र प्रायोजित योजना '[राष्ट्रीय ई-वधिन एप्लीकेशन](#)' (NEVA) के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।

मुख्य बढि:

- [डजिटल इंडिया पहल](#) के तहत, भारत सरकार ने देश की सभी वधिनसभाओं को कागज़ रहति प्रारूप में परिवर्तित करने और उन्हें एक मंच पर एकीकृत करने के लिये केंद्र प्रायोजित 'नेशनल ई-वधिन एप्लीकेशन' योजना शुरू की है।
 - योजना क्रियान्वयन लागत का 60% हिस्सा भारत सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- [वमिक्त, घुमककड एवं अर्द्धघुमककड जनजात कल्याण वधिन](#) के अंतर्गत संचालित छात्रावासों, आश्रमों एवं सामुदायिक कल्याण केंद्रों में नविसरत वदियार्थियों को [अनुसूचित जात कल्याण/जनजातीय कार्य वधिन](#) द्वारा नरिधारित छात्रवृत्तियों के अनुसार युक्तिकरण।
 - लड़कों के लिये वर्तमान मासिक छात्रवृत्ति 1230 रुपए से बढ़ाकर 1550 रुपए तथा लड़कियों के लिये 1270 रुपए से बढ़ाकर 1590 रुपए प्रती माह की जाएगी।
- मंत्रपरिषद ने [नर्मदा घाटी विकास वधिन](#) की 9,271.96 करोड़ रुपए की लागत की सात परियोजनाओं के लिये नविदिएँ आमंत्रित करने की स्वीकृति दी।

डजिटल इंडिया कार्यक्रम

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में डजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना, डजिटल सेवाएँ प्रदान करना और डजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है।

वमिक्त, घुमककड एवं अर्द्धघुमककड जनजात (De-Notified, Nomadic And Semi-Nomadic Tribes)

- ये वे समुदाय हैं जो सबसे ज्यादा कमज़ोर और वंचित हैं।
- DNT वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान [आपराधिक जनजात अधिनियम, 1871](#) से शुरू होने वाले कई कानूनों के तहत '[जन्मजात अपराधी](#)' के रूप में '[अधिसूचित](#)' किया गया था।
 - इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारतीय सरकार ने वर्ष 1952 में नरिसूत कर दिया था और इन समुदायों को "वमिक्त" कर दिया गया था।
- इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें वमिक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे घुमककड भी थे।
 - घुमककड एवं अर्द्धघुमककड समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से घुमककड जनजातियों और वमिक्त जनजातियों के पास कभी भी नज्दी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
- जबकि अधिकांश DNT [अनुसूचित जात \(SC\)](#), [अनुसूचित जनजात \(ST\)](#) और [अन्य पछिड़ा वर्ग \(OBC\)](#) श्रेणियों में फँसे हुए हैं, कुछ DNT किसी भी SC, ST या OBC श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

